भारत INDIA 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
भारत INDIA 5 रु. Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
COURT FEE भारत INDIA सत्यमेव जयते दस रुपये TEN RUPEES

(72)

मा.. न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक – /2017 निगरानी R 908-PB 2017

सोहनलाल पिता भेरूलाल खारोल, उम्र 65 वर्ष व्यवसाय मजदूरी, निवासी ग्राम दुदरसी, तहसील व जिला नीमच —— आवेदक

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड नीमच
2. म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार, तहसील नीमच जिला नीमच —— अनावेदकगण

धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ....
...ा आज दि 17-3-17 को
...ुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 17-3-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण अधी. न्याया. एस.डी.ओ. महोदय नीमच के प्र.क्र. 3/अ–68/14–15 में पारित आदेश दि. 30–01–2017 के विरूद्ध

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 908–पीबीआर / 17 जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–6–2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–1–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण उसके विरूद्ध सिविल कारावास की कार्यवाही की गई है । इसके बावजूद भी आवेदक द्वारा कब्जा नहीं हटाने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार को तत्काल कब्जा हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियिमतता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	